NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH
Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 68 /NCRES/20 Date : 23.03.2020

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– लाक डाऊन की स्थिति में वर्कशापो, शेडो एवं ईंजी. विभाग द्वारा ब्लाक लेकर कार्य कराना।
संदर्भ :– NCRES का पत्र दिनांक 21.3.2020

महोदय,

अवगत कराना है कि PCE के आदेश से इलाहाबाद मण्डल, झांसी मण्डल एवं आगरा मण्डल में ब्लाक लेकर ट्रैकमेन्टेनर से कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार वर्कशाप और शेडो में पूर्व के समान कार्य कराने का निर्देश दिया गया है जब कि मण्डलो में ट्रैकमेन्टेनरो एवं वर्कशाप व शेडो के हेल्पर और टेक्नीशियन कैटेगिरी के कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिये कोई व्यवस्था नही किया गया है।

यह भी अवगत कराना है कि कर्मचारियों को कार्यरत स्थलो पर पहुँचने के लिये अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ कार्य स्थल पर पहुँचने के लिये कर्मचारियों के घर से निकलने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

उपरोक्त स्थिति के बावजूद कर्मचारी प्राइवेट वाहनो से किसी प्रकार कार्य स्थल पर पहुँचे लेकिन कोरोना वायरस से बचाव के लिये मास्क वगैरह की भी मांग करने पर उन्हें नही दिया जा रहा जिसके कारण कर्मचारियों में बहुत असंतोष है।

NCRES का अनुरोध है कि सरकार द्वारा लाक डाऊन की घोषणा पर कर्मचारियों को कार्य स्थल पर पहुँचने के लिये अनावश्यक दबाव न बनाया जाय और यदि प्रशासनिक कार्य के लिये कर्मचारियों की उपस्थिति जरूरी है तो कोरोना वायरस से बचाव के लिये सभी उपाय करने के बाद कर्मचारियों को घर से कार्य स्थल तक पहुँचने के लिये सरकारी वाहन की व्यवस्था की जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि :– PCPO, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज